गृहस्थल योजना

❖ गृहस्थल योजना क्या है?

राज्य के वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी (अनु. जाति (महादलित को छोड़कर), अनु. जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर-1 तथा एनेक्सर-2) के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। सर्वप्रथम वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को सरकारी भूमि यथा गैरमजरूआ मालिक, गैरमजरूआ आम, भूहदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बंदोबस्ती तथा बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वास भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तथापि सुयोग्य श्रेणी के सभी वासरहित परिवारों को इनसे आच्छादित नहीं किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार द्वारा सभी वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए राज्य में गृहस्थल योजना चलायी जा रही है। गृहस्थल योजना के अन्तर्गत वैसे वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवार जिन्हें सरकारी भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है उन्हें रैयती भूमि अर्जन कर 3 (तीन) डिसमल प्रति परिवार वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है।

भू-अर्जन एक जटिल (Complex) प्रक्रिया है जिसमें कई स्तर पर वैधानिक अवधि (Statutory Period) नियत है। साथ ही भू-अर्जन में भू-मालिक की रजामंदी आवष्यक नहीं है जिससे कभी-कभी दाखलदिहानी की समस्या उद्भूत होती है जो सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

अतः सामाजिक ताना बाना (Social fabric) को अक्षुण्ण रखते हुए त्वरित गति से वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने की योजना है।

क्रय प्रक्रिया के लाभ :- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के आवासीय प्रयोजन के लिए आवष्यतानुसार रैयती भूमि का क्रय लोक निधि से किया जाएगा।

प्रस्तावित क्रय से निम्नांकित लाभ परिकल्पित हैः-

(i) लाभुक अपनी इच्छा , अभिरूची एवं आवष्यकता के अनुसार भूमि का चयन कर सकेंगे जिसमें क्रेता-विक्रेता दोनों की रजामंदी रहेगी ;

(ii) त्वरित रूप से प्रश्नगत भूमि विक्रेता द्वारा क्रेता को अन्तरित की जा सकेगी।

(iii) परस्पर सहमति से क्रय विक्रय की व्यवस्था से क्रयोपरान्त क्रेता की दखल-दिहानी सुगम होगी।

(iv) भूमि अर्जन की प्रक्रियात्मक जटिलता से मुक्ति होगी तथा वास हेतु भूमि उपलब्ध कराना सुगम होगा।

❖ **<u>गृहस्थल योजना योजना से कौन तथा कैसे लाभान्वित होगा ?</u>**

राज्य के वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी (अनु. जाति (महादलित को छोड़कर), अनु. जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर-1 तथा एनेक्सर-2) के परिवारों को शामिल किया गया है। ।

राज्य के वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास भूमि मुख्यतः गैर मजरूआ आम , गैर मजरूआ मालिक/खास एवं वी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है। ऐसे वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवार जिन्हें उक्त तीनों स्त्रोतों से वासभूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है , उन्हें रैयती भूमि क्रय कर वास भूमि उपलब्ध करायी जाती है। इसके लिए बिहार गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 राज्य में लागू की गई है। इस स्थिति के अन्तर्गत 20,000 रू0 के वित्तिय अधिसीमा के अंतर्गत 3 डी0 रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासगीत उपलब्ध कराया जाता

है। इस निति के अंतर्गत भूमि का चयन लाभूक वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवार के द्वारा किया जाता है। एवं अंचलाधिकारी की भूमिका facilitator की होती है। इस नीति के अंतर्गत भूमि का क्रय त्रिपक्षीय विक्रय पत्र के आधार पर की जाती है। जिसमें एक पक्ष भूमि का विक्रेता दूसरा पक्ष अंचल अधिकारी के माध्यम से सरकार तथा तृतीय पक्ष संबंधित वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी का परिवार होता है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://lrc.bih.nic.in/Circulars/circular_172(8).pdf